प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 32 सन 2021
अनवानी:–

1. हरमीत सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. गुरदत्त सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर ।
2. गुरमेल कौर पत्नी जबरजगसिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
3. सन्दीपसिंह पुत्र जबरजग सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
4. सिमरजीत कौर पुत्री जबरजग सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर ।
5. जसवन्त कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
6. जगप्रित पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रजवन्त कौर पत्नी सुखराम सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
8. रमनप्रित कौर पुत्री सुखराम सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
9. उमकार पुत्र सुखराम सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. छिन्द्रपाल कौर उर्फ सुखजीत कौर पुत्री निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. परमजीत कौर उर्फ दलजीत कौर पुत्री निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
12. मिठुसिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. सुखमन्द्र सिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. सरबजीत कौर पुत्री सरजीत कौर उर्फ बलेदव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. सुखदीप कौर पत्नी दलजीत सिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. हसनप्रित पुत्री दलजीत सिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. रूपीन्द्र कौर पुत्री नसीब कौर पुत्री सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. तेजीन्द्रसिंह पुत्र नसीब कौर पुत्री सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.442है व खाता संख्या 26/24 की कुल 0.506हैक भूमि मुश्तरका खाते में मृतक करतारसिह व सरजीत कौर के व अन्य के नाम मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज सूचासिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके दो पुत्रो बखतावरसिह एवं विचित्रसिह के नाम एवं विचित्रसिह के देहान्त होने के बाद उनके पुत्र निरजनसिह एवं पुत्री सरजीतकौर के नाम से दर्ज हुए निरजनसिह के देहान्त होने पर उसके पुत्रों के नाम एव एक पुत्र जबरजंगसिह के देहान्त होने पर उसके वारिसान के नाम से दर्ज हुई है अर्थात सुचासिह के वारिसान के नाम से दर्ज हुए है अर्थात वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह व सरजीतसिह एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 7 ता 11 के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक करतारसिह एवं सरजीतसिह एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, व 7 ता 11 के नाम दर्ज वह सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने वाद भूमि व अन्य भूमियो का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया गया था अर्थात वाद भूमि वादी को बाहमी बटवारा में प्राप्त हुइ थी।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक करतारसिह सरजीत कौर एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 11 के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने निवेदन किया की वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह , सरजीतकोर एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 11 के नाम से दर्ज है वह उनके पूर्वजो के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने निवेदन किया की वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के पूर्वजो ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है पूर्वजो के बाहमी बटवारा के मध्यनजर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.442है व खाता संख्या 26/24 की कुल 0.506हैक भूमि मुश्तरका खाते में मृतक करतारसिह व सरजीत कौर के व अन्य के नाम मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करतारसिह , सरजीतकोर एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ता 11 के नाम से दर्ज है वह उनके पूर्वजो के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 का हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के पूर्वजो ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है पूर्वजो के बाहमी बटवारा के मध्यनजर प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनो को प्रतिवादी सख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने बाहमी बटवारा को ध्यान में रखते हुए अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल

डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.442हैक्ट भूमि व खाता संख्या 26/24 की कुल 0.506हैक्ट भूमि मुश्तरका खाते में मृतक करतारसिह पुत्र निरजन सिह व सरजीत कौर उर्फ बलदेवकोर पुत्री विचित्रसिह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 7 ता 11 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .देईदास

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवानी:–

1. हरमीत सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. गुरदत्त सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर हनुमानगढ़।
2. गुरमेल कौर पत्नी जबरजगसिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर हनुमानगढ़।
3. सन्दीपसिंह पुत्र जबरजग सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर हनुमानगढ़।
4. सिमरजीत कौर पुत्री जबरजग सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
5. जसवन्त कौर पत्नी करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर. ।
6. जगप्रित पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रजवन्त कौर पत्नी सुखराम सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
8. रमनप्रित कौर पुत्री सुखराम सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
9. उमकार पुत्र सुखराम सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर।
10. छिन्द्रपाल कौर उर्फ सुखजीत कौर पुत्री निरंजनसिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर ।
11. परमजीत कौर उर्फ दलजीत कौर पुत्री निरंजन सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
12. मिठुसिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. सुखमन्द्र सिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. सरबजीत कौर पुत्री सरजीत कौर उर्फ बलेदव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. सुखदीप कौर पत्नी दलजीत सिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. हसनप्रित पुत्री दलजीत सिंह पुत्र सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. रूपीन्द्र कौर पुत्री नसीब कौर पुत्री सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. तेजीन्द्रसिंह पुत्र नसीब कौर पुत्री सरजीत कौर उर्फ बलदेव कौर पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7–9 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1098 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 आरपीएम के खाता संख्या 37/22 की कुल 1.442हैक्ट भूमि व खाता संख्या 26/24 की कुल 0.506हैक्ट भूमि मुश्तरका खाते में मृतक करतारसिह पुत्र निरजन सिह व सरजीत कौर उर्फ बलदेवकोर पुत्री विचित्रसिह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 , 7 ता 11 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....देईदास